COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 4 Rs. भारत INDIA चार रुपये FOUR RUPEES
COURT FEE 1 Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रं. /2001

R 162 - II/2001

श्री के. के. द्विवेदी अभि. द्वारा आज दि० 23-1-2001 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

23 JAN 2001

1. कुशलपाल सिंह
2. लालमणि सिंह
3. मदन सिंह
4. सज्जन सिंह
5. हीरा सिंह
6. मिथिलेश सिंह

तनय श्री दुर्गासिंह क्षत्रिय सा. शाहपुर थाना नई गढ़ी, तहसील मउगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

7. मुस. बेवा देवराज कुमारी सिंह पत्नी दुर्गा सिंह
8. द्रिगविजय सिंह तनय इन्द्राज सिंह सा. शाहपुर, थाना नई गढी, तहसील मउगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

....आवेदकगण

बनाम

रामप्रसाद सिंह तनय इन्द्राज सिंह क्षत्रिय सा. शाहपुर, थाना नई गढ़ी तहसील मउगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

..अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा आदेश दिनांक 13.11.2000 प्रकरण क्रमांक 525/अपील/99-2000 धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता सन 1959 ई

K. K. Dwivedi Advocate 23-1-2001

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है +

1. यह कि, आ. नं. 20, 21, 22, 493, 494 एवं 495 स्थित ग्राम शाहपुर ज. नं. 968 के कुल रकबा 14.24 ए., के भूमि स्वामी अपीलांट क्रं. 1 ता 7 हिस्सा 1/3 अपीलांट क्रं. 8 हिस्सा 1/3 एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 162–दो/2001 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 525/अपील/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के अधिवक्ता ने निगरानी मेमों में दर्शाये गये बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि नायब तहसीलदार के न्यायालय में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने समय–सीमा के तिबन्दू का गलत विश्लेषण किया । अनावेदक के अधिवक्ता ने आवेदकगण के पक्ष में तर्क से अपनी असहमति जाहिर	

किया । निगरानी मेमों में बड़ा ही विस्तृत आधार निगरानी के लिये दर्शाया गया है परन्तु चूँकि इस प्रकरण का सम्बन्ध मात्र अधीनसी न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 145/अ–6/98–99 में दिनांक 30.05.2000 को पारित आदेश से है । अतः यहां मात्र इसी आदेश के सन्दर्भ में प्रकरण की विवेचना की जावेगी । आवेदकगण ने समय–सीमा के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस विषय का यथोचित विश्लेषण नहीं किया । मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समय–सीमा के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचना किया है । किसी भी प्रकरण में गुण–दोष पर निर्णय देने के पूर्व समय–सीमा के मुद्दे का निराकरण सर्वप्रथम आवश्यक होता है, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में किया गया है । विलम्ब के दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण न्यायालय को देना पक्षकार के लिये अनिवार्य है और आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय में यह करने में असफल रहें है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के समय–सीमा के मुद्दे पर दिया गया अभिमत विधिसंगत है । इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2000 यथावत कायम रखा है। मैं इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता।

5/ उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2000 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है।

फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य